

प्रपत्र-30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No.....

Dated. 28-12-20

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain

relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.615** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, PWD, Ukhimath** (name of user agency) for **Construction of Bedubagar-jagoth motor road to sauri village motor road** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **sauri** villages in **Ukhimath** tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.615** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

District Magistrate
Rudraprayag, Uttarakhand.

प्रपत्र-30.1

Annexure -

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr./Mrs. Dr. Mangesh G. Ghidyal I.A.S. District Magistrate, Rudraprayag District, on the date 28-12-2017 at time 4:00 PM in Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.615 hectare for the construction of Construction of Bedubagar-jagoth motor road to sauri village motor road in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Ukhimath Tehsil sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.


District Magistrate Cum-Chairman
District Level Committee
Rudraprayag, Uttarakhand.

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति रूद्रप्रयाग

उपखण्ड रूद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु राज्य भूमि 0.420 है ० मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.195 है ० मक डिस्पोजल हेतु अर्थात् कुल 0.615 है ० राज्य भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-रूद्रप्रयाग) की दिनांक 11/10/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|--|---------------------------|------------|
| 1- श्री <u>दीपेन्द्र सिंह रावत</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>सहायक समाज कल्याण अधिकारी</u> | उपप्रभागीय वनधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री <u>सहायक समाज कल्याण अधिकारी</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री <u>दीपेन्द्र सिंह रावत</u> | वाई सदस्य | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु राज्य भूमि 0.615 है ० लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीयों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी श्री सहिपाल सिंह द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक सर्वसम्मति से उपखण्ड रूद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु राज्य भूमि 0.615 है ० लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

दीपेन्द्र सिंह रावत
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
वनियाडी-वाड
नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

उप प्रभागीय वन अधिकारी
रूद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-रूद्रप्रयाग

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-रूद्रप्रयाग
उप जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-कैदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

नगर पंचायत का नाम - अगस्त्यमुनि (वार्ड-2 सौड़ी-बनीयाड़ी)

तहसील - रूद्रप्रयाग, जिला - रूद्रप्रयाग,

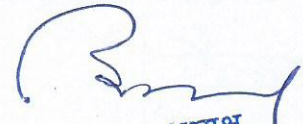
अनापत्ति का प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-कैदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु राज्य वनभूमि 0.420 है० मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.195 है० मक डिस्पोजल हेतु अर्थात् कुल 0.615 है० राज्य वनभूमि का लो०नि०वि० के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में नगर पंचायत द्वारा दिनांक 10/07/2017 को सम्पन्न बैठक में लो०नि०वि० द्वारा आवेदित राज्य वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित पँचायती वनभूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिष्ठत सभी नगरवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राज्य भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित पँचायती वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त नगरपंचायत द्वारा सर्वसमिति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि अगस्त्यमुनि (वार्ड-2 सौड़ी-बनीयाड़ी) के नगरवासियों को उक्त राज्य वनभूमि उक्त परियोजना हेतु लो०नि०वि० को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

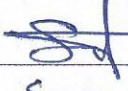
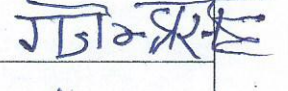
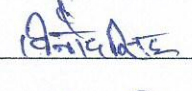
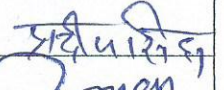
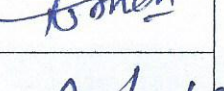
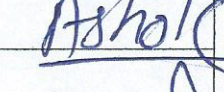
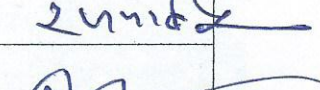
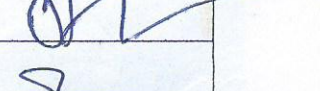
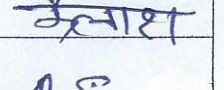
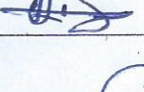
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


अध्यक्ष
अध्यक्ष नगर पंचायत
नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, जिला रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अंतर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

दिनांक 10/07/2017 को नगर पंचायत सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

नगर पंचायत का नाम - अगस्त्यमुनि (वार्ड-2 सौड़ी-बनीयाड़ी)

क्र.स.	नगर पंचायत सभा में उपस्थित वरिष्ठ नगरवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	सुनील राजवाड़ा	
2	मंजु कंडारी	
3	विनोद सिंह	
4	प्रदीप सिंह राजवाड़ा	
5	विक्रम सिंह राजवाड़ा	
6	Ashok K. Kamdani	
7	रजपाला सिंह	
8	Anil Kamdani	
9	केलाश सुजाग	
10	R.S. Sujwan	

अध्यक्ष

अध्यक्ष

नगर पंचायत अगस्त्यमुनि पंचायत
अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग